

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

रजिंद्र बिहोरनाथ सिंह प्रथम पक्ष

पक्ष

बनाम
जमरुतीन अंसारी द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० से तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 04 / सन् 2021
धारा द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

28/8/2021

माबिक रजिंद्र बिहोरनाथ सिंह पं० एच० सिद्धनाथ सिंह, सा० बागोडीह जामा सरिया जिला- गिरिडीह ने अधोदस्तासरी के न्यायालय में माबिक देवा बल्लभ सिंह के प्रति विवादात्मक है बिहोरनाथ गणपत कार्तिकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरित द्वितीय पक्ष के उक्त अधोपूर्वक टांड, दिवाल के रिया एवं इतर उक्त बाजारन जोत-घोड मपने कुल्ले में करने की चेष्टिया कर रहे हैं, जिसे रोकने हुए धारा 31 के तहत जमीन बापस करने का अनुरोध विवादात्मक है।

उक्त के माबिक में उभय पक्षों को मोरिया दिया जाता है बि बिबादित भूमि के संबंध में कारण-पृच्छा दाखिल होना तथा संबंधित कागजातों के साथ दिनांक को अधोदस्तासरी के न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित होगे।

विवादात्मक जमीन का विवरण
मौजा- बागोडीह खाना नं०-38 खाना नं० 111, प्लॉट नं०-75, 758, 759, रकबा-2.13 एकड़ मध्ये 1.00 एकड़

11
20/08
अनु० दण्डाधिकारी
बगोदर- सरिया

14/9/2021

अभिलेख उपस्थापित,
प्रथम पक्ष मनु०। डिहीप पक्ष उप०।
५० ४/८ by next date. To 28/09/21

14/09

28/9/2021

प्रथम पक्ष उप०। डिहीप पक्ष उप०।
मनु० दण्डा० अन्य कार्य में उपस्थित।
अभिलेख दिनांक 26/10/2021 हो रहे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

26/10/2021

प्रथम पक्ष मनु० डिहीप पक्ष बहालतन दायित्व।

To 16/11/21

16/11

16/11/2021

प्रथम पक्ष उप०। डिहीप पक्ष बहालतन
दायित्व। मनु० दण्डा० अन्य कार्य में उपस्थित।
अभिलेख दिनांक 30/11/2021 हो रहे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

क्र. सं.
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

3

30/11/21

उभय पक्ष बकायतन दायिर।

To 28/12/21



28/12/21

उभय पक्ष बकायतन दायिर। मनु
दण्डा 0 अन्य कार्य में उपर। अभिलेख
दिनांक 25/11/22 को रहे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

25/11/22

उभय पक्ष बकायतन दायिर।
अभिलेख दिनांक 22/11/22 को रहे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

22.2.22

उभय पक्ष बकायतन दायिर। डी.पी. पक्ष
के द्वारा ए.ए. दायिर।
To 15/3/22



15/3/22

उभय पक्ष बकायतन दायिर।
अभिलेख दिनांक 29/3/22 को रहे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

29/3/22 उमप पक्ष बहालतन दायिर।

To 19/04/22

२९/३

की क
और तारीख

19/4/22

उमप पक्ष बहालतन दायिर।
अभिलेख दिनांक 12/3/22 को रहे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

12/7/22

उमप पक्ष बहालतन दायिर।

उमप पक्ष पक्ष लम्बित
दस्तावेज दायिर नही किया
जमा है जगली तिरि न क
दा रिक्त को।

To 26/7/22

गिरिडीह जिला
अनुमण्डल दण्डाधिकारी

२६/७

26/7/22

उमप पक्ष बहालतन दायिर।

To 16/08/22

२६/७

16/8/22

उमप पक्ष बहालतन दायिर।
अभिलेख दिनांक 30/8/22 को रहे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

30/8/22

उमप पक्ष बहालतन दायिर।

उमप पक्ष के डारा दस्तावेज दाखिल नहीं
किया गया है तथा उमप की मौजूदगी है
उमप पक्ष को अंतिम मौजूदा दिया जाता
है।

To 20/9/22

२०/९

श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

20/9/22

उमर पक्ष कटौत करने का निर्णय

व्यय पक्ष के द्वारा वाद को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

20/09/22